भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
और
आस्ट्रिया गणराज्य के आर्थिक और श्रम संघीय मंत्री
के बीच
स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी सहयोग पर करार

भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा आस्ट्रिया गणराज्य के आर्थिक और श्रम संघीय मंत्री, जिन्हें निम्नलिखित में "करार के पक्षकारों " के रूप में संदर्भित किया गया है,

- स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए अवसरों का पारस्परिक लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक अवसंरचना संबंधी करार को बढ़ावा देने और उसे गहन बनाने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

- भारत गणराज्य और आस्ट्रिया गणराज्य के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी सहयोग के लिए एक विस्तृत क्षेत्र के रूप में भारत गणराज्य में स्वास्थ्य से संबद्ध सुविधाओं के महत्वकांक्षी विस्तार, आधुनिकीकरण और निजीकरण कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करते हुए,
- द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग के संबंध में नई दिल्ली में 12 फरवरी, 1999 को हस्ताक्षरित भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रियन संघीय सरकार के बीच करार के कार्यान्वयन में एक व्यापक भारतीय-आस्ट्रियन सहयोग के भीतर स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी सहयोग के विशेषाधिकृत स्वरूप का समर्थन करते हुए,

निम्न रूप में सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद-1

(1) स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय-आस्ट्रियन अवसंरचना संबंधी सहयोग भारत गणराज्य की सरकार और आस्ट्रिया गणराज्य की संघीय सरकार के बीच करार के कार्यान्वयन के रूप में लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत गणराज्य में स्वास्थ्य से संबद्ध सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार करना है। यह निम्नलिखित को संदर्भित करता है :-

1. भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा सुविधाओं की क्षमता का आधुनिकीकरण और विस्तार;

2. भारत गणराज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं का क्षेत्रीय और अति-क्षेत्रीय विस्तार;
3. भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं का सतत गुणात्मक सुधार।

(2) इस अवसंरचना सहयोग से संबंधित परियोजनाओं पर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परियोजना के लिए जिम्मेदार पक्षों के बीच वार्षिक आधार पर सर्वसम्मति से सहमति होगी और उसे इस करार के उपाबंध के रूप में संलग्न किया जाएगा।

अनुच्छेद-2

अवसंरचना सहयोग के सामान्य रूप और क्षेत्र विशेषकर निम्नलिखित होंगे :

1. क्षेत्रीय नियोजन (स्वास्थ्य क्षेत्र अध्ययनों का विकास और अस्पताल विकास योजनाएं तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनिंदा सेवाएं);
2. तकनीकी नियोजन (वास्तुविद, इंजीनियरिंग सेवाएं और भवनों के तकनीकी उपकरण, चिकित्सा प्रौद्योगिकी);
3. संगठनात्मक नियोजन (प्रचालनात्मक संगठन, इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग, स्टाफ प्रशिक्षण, प्रचालन शुरू करना, प्रबंधन), कार्यान्वयन और लाभकारी अध्ययन;
4. परियोजना प्रबंधन, निर्माण पर्यवेक्षण;
5. चिकित्सीय-तकनीकी यंत्रों का रखरखाव;
6. अस्पतालों और अन्य भवनों का विस्तार, परिवर्तन, पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और टर्न-की परिनिर्माण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सुविधाएं;
7. अस्पतालों और अन्य भवनों का पूर्णरूपेण सुसज्जीकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सुविधाएं;
8. स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में विनियोजन, आपूर्ति, कार्यान्वयन और निगरानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का रखरखाव;
9. अपशिष्ट और सीवरेज प्रबंधन;
10. प्रबंधन और प्रबंधन सहायता तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सहायता;
11. स्वास्थ्य वित्त पोषण प्रणाली के विकास में सहायता और स्वास्थ्य बीमा के लिए नेटवर्क;
12. प्रवर, विशेषज्ञ और उच्च अर्हता वाले तकनीशियन उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता;
13. इस समझौते से संबंधित परियोजनाओं के फ्रेमवर्क के भीतर संबंधित अस्पताल स्टाफ का प्रशिक्षण।

अनुच्छेद-3

(1) भारत की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय- आस्ट्रियन अवसंरचनात्मक सहयोग के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय-आस्ट्रियन अवसंरचनात्मक सहयोग के ढांचे में आस्ट्रियन पक्ष ए एच सी आस्ट्रियन हैल्थ केयर सिस्टम एण्ड इंजीनियरिंग जी एम बी एच को अनुच्छेद-1 पैरा 2 और वर्तमान करार के परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए पैरा के अनुसार निर्धारित की गई सहमति-जन्य रूप से परियोजनाओं का समन्वयक नियुक्त करता है। परियोजना समन्वयक के रूप में कार्यरत ए एच सी इस कार्य में सभी इच्छुक आस्ट्रियन कम्पनियों के लिए खुला है।

(3) आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया सहभागी अपने उत्तरदायित्व के विशिष्ट भागों को अन्य कम्पनियों अथवा कम्पनी समूहों को अंतरित कर सकता है। इस अंतरण से आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए गए सहभागी का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रभावित नहीं होगा।

(4) वर्तमान करार के क्रियान्वयन से संबंधित सभी प्रश्नों का निपटान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी यहां अनुच्छेद 5 पैरा 3 में उल्लिखित संयुक्त कार्य दल होगा।

अनुच्छेद-4

(1) वर्तमान करार में पक्षकार यह निर्धारित करते हैं कि इस करार के अनुरूप क्रियान्वित की जाने वाली कोई भी परियोजना एक अलग अनुबन्ध के अध्यधीन है।

(2) उपर्युक्त पैराग्राफ में प्रदान की गई संविदाओं के निष्कर्ष को देखते हुए, परियोजना के लिए उत्तरदायी आस्ट्रियन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और पेशकशों का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय बाजार में विद्यमान दशाओं और प्रावधानों के प्रति, मुख्यतया मूल्य के संबंध में भुगतान के संबंध में, क्रियान्वयन और प्रदानगी के संबंध में, क्रियान्वयन की गहनता और आपूर्तियों तथा सेवाओं के कार्यक्षेत्र एवं गुणवत्ता के संबंध में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर किया जाएगा।

अनुच्छेद-5

(1) इस करार के पक्षकार अपनी विधिक क्षमताओं के कार्यक्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सहयोग कार्यक्रम के यथोचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्प हैं।

(2) इस प्रयोजन हेतु वे अपने विधिक क्षमताओं के कार्यक्षेत्र के भीतर कोई भी अपेक्षित उपाय करेंगे जिससे कि इसके अनुच्छेद 4 पैरा-1 में उल्लिखित अनुबंधों के उचित कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके।

(3) इस करार के पक्षकार भारत गणराज्य तथा आस्ट्रिया गणराज्य में बारी-बारी से वार्षिक अथवा इस करार के किसी भी एक पक्षकार के न्यायसंगत अनुरोध पर बैठक करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की सहमति देते हैं। इस संयुक्त कार्य समूह में इस करार के अनुच्छेद 3 पैरा 1 में उल्लिखित भारतीय पक्ष की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-आस्ट्रियन अवसंरचनात्मक सहयोग के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार पक्षकार के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इस करार के अनुच्छेद 3 पैरा 2 में उल्लिखित आस्ट्रियन पक्ष की ओर से परियोजना समन्वयक के रूप में कार्यरत संघीय आर्थिक और श्रम मंत्रालय तथा ए एच सी आस्ट्रियन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली एवं इंजीनियरिंग जी एम बी एच शामिल हैं।

अनुच्छेद-6

(1) यह करार हस्ताक्षरित होने के बाद तीसरे माह के प्रथम दिन से लागू होगा।

(2) यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया है और इसे अन्य तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा यदि इसे वर्तमान करार के किसी भी एक पक्षकार द्वारा इसकी समाप्ति की तिथि से 6 माह पूर्व एक लिखित नोटिस देकर समाप्त न कर दिया गया हो।

इसे हिन्दी, जर्मन तथा अंग्रेजी की दो मूल प्रतियों, जिनमें से प्रत्येक की शब्दावली समान रूप से प्रामाणिक है, में दिनांक 17 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में प्रभावी किया गया। निर्वचन में किसी तरह का अन्तर होने पर अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य के
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री अंबुमनी रामदौस

आस्ट्रियन गणराज्य
के आर्थिक और श्रम संघीय मंत्री
डा० मार्टिन बारटेनस्टेन

Unterzeichner	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
Datum/Zeit	2017-11-27T17:00:35+01:00
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bka.gv.at/verifizierung
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.